"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

" पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2014—वैशाख 26, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 01 मई 2014

क्रमांक ई 1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुबोध सिंह (भा.प्र.से. 1997) सचिव-सह-आयुक्त विमानन, सचिव, मुख्यमंत्री, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. तथा संचालक व प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी को उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खनिज साधन विभाग का प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री एन. के. खाखा (भा.प्र.से. 2000), विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, मर्या., प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड तथा संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है. इसके

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

साथ ही श्री खाखा को संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. श्रीमती श्रुति सिंह (भा.प्र.से.-2006), संचालक, उद्योग एवं पदेन उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है. श्रीमती श्रुति सिंह के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. के. खाखा अपने प्रभार के पदों से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 1-1/2013/1/5.—भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या ECI/PN/10/2014, दिनांक 05 मार्च 2014 द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली राज्य के समस्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में लोक सभा आम चुनाव-2014 हेतु दिनांक 10 अप्रैल, 2014, दिन गुरूवार को मतदान सम्पन्न होगा. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य शासन के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी कार्यालयों में मतदान हेतु नियत उक्त तिथि को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्रमांक 302/835/अव./2014/1-8/स्था.—श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन एवं जल संसाधन विभाग को दिनांक 18-11-2013 से 13-12-2013 तक 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17-11-2013 एवं 14, 15-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन एवं जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्रमांक 306/168/अव./2014/1-8/स्था.—श्री आर. जी. लोंदे, अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 10-03-2014 से 14-03-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 08, 09, 15, 16, 17-03-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे आगामी आदेश तक अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्रमांक 308/164/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 10-03-2014 से 14-03-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09, 15, 16, 17-03-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2014

क्रमांक 312/402/अव./2014/1-8/स्था.—श्री आलोक कुमार राय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 23-12-2013 से 10-01-2014 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-12-2013 एवं 11, 12-01-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार राय आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2014

क्रमांक 314/188/अव./2014/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 15-04-2014 से 17-04-2014 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 18, 19, 20-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल आगामी आदेश तक शोध अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रशांत लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2014

क्रमांक 316/191/अव./2014/1-8/स्था.—श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, कृषि पशुधन विकास, मछलीपालन विभाग को दिनांक 10-03-2014 से 22-03-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09, 23-03-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़नें अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा आगामी आदेश तक अवर सचिव, पशुधन विकास, मछलीपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लकड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2014

क्रमांक 319/55/अव./2014/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 10-03-2014 से 19-03-2014 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09-03-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जातों है कि यदि श्री दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2014

शुद्धिपत्र

क्रमांक 905/726/2014/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-12-2013 की पंक्ति-4 में श्री आर. के. श्रीवास्तव (मुख्य महाप्रबंधक) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की अंकित दिनांक 08-08-2013 के स्थान पर 08-08-2012 (पूर्वान्ह) पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2014

क्रमांक 324/227/अव./2014/1-8/स्था.—श्री आनन्द राम रात्रे, उप संचालक, मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग को दिनांक 01-05-2014 से 16-05-2014 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रात्रे आगामी आदेश तक उप संचालक, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री रात्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रात्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2014

क्रमांक 326/243/अव./2014/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27-03-2014 से 07-04-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा आगामी आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2014

क्रमांक 328/212/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 28-03-2014 से 01-04-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2014

क्रमांक 330/210/अव./2014/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार चौधरी, स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 24-03-2014 से 29-03-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23, 30-03-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार चौधरी आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2014

क्रमांक 332/310/अव./2014/1-8/स्था.—श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 10-03-2014 से 14-03-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09, 15, 16, 17-03-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा देवांगन आगामी आदेश तक अवर सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती दुर्गा देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दुर्गा देवांगन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्रमांक 334/164/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 15-04-2014 से 17-04-2014 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 18, 19, 20-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2014

क्रमांक 3265/579/21-ब/छ.ग./2014.—दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ श्री राकेश झा, विधि अधिकारी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

No. 3265/579/21-B/C.G./2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Rakesh Jha Law Officer Posted in the Office of Advocate General, Bilaspur as Additional Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2014

क्रमांक 3364/1089/21-ब/छ.ग./2014.—दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री जुगल किशोर टिकमचंद गिल्डा, महाधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

No. 3364/1089/21-B/C.G./2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Jugal Kishore Tikamchand Gilda, Advocate General of Chhattisgarh, Bilapsur as Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2014

क्रमांक एफ 1-125/व.स./2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 26/2/87/10-3 दिनांक 8 अप्रैल, 1987 द्वारा गठित "सामाजिक वानिकी वन मंडल, रायपुर," जिसे "अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल" के नाम से पुनर्नामित किया गया था, को समाप्त घोषित करता है तथा उक्त वन मंडल की समस्त ईकाईयों का संविलियन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 सितंबर, 2012 द्वारा गठित "रायपुर वन मंडल" में किये जाने हेतु आदेशित करता है.

No. F 1-125/VS/2001.— The State Government hereby orders the closure of the "Social Forestry Division Raipur created vide Notification No. /F-26/2/87/10-3 dated 8th April 1987 of Madhya Pradesh Government, subsequently, renamed as Research and Extension Division Raipur" with immediate effect and merger of it's units with the Raipur Forest Division, created vide even numbered Notification dated 11th September 2012 of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2014

क्रमांक एफ 6-26/2010/वा.कर.पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2011 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से. आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में उनके सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये कार्यालय में की जाती है. :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरण होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तिवारी, पिता-स्व. श्री शिवराज सिंह तिवारी, पता-ग्राम-घुघरा, पोस्ट-कटगोड़ी, व्हाया-चरचा कालरी, जिला-कोरिया (छ.ग.)	सामान्य	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर संभाग-एक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	2	श्री तरून कुमार किरण, पिता-श्री जालम सिंह किरण, पता-ग्राम-भानपुरी, पोस्ट-देमार, जिला-धमतरी (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-एक

2\. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3\. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4\. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5\. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6\. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7\. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिवल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे.

8\. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सार्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9\. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10\. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 10-30/2005/वा.कर./पांच.—छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-08-2011 द्वारा श्री सुरेन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया था. श्री तिवारी, दिनांक 31-03-2014 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण सेवानिवृत्त हो गये हैं.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा नवीन अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष पद का कार्यभार अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक-एफ 7-14/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र, जिला बलरामपुर रामानुजगंज का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : मदनपुर, पशुपतिपुर, मिथिलापुर, रूपपुर, बसंतपुर एवं बसुलापाठ ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : बसुलापाठ, प्रेमनगर, वाड्रफनगर एवं रजखेता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : रजखेता, कोटराही, पेंडारी एवं इकनारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : इकनारा एवं मदनपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक-एफ 7-17/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भोपालपटनम निवेश क्षेत्र, जिला बीजापुर का गठन करती है जिसकी

सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

भोपालपटनम निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम गुलापेंटा की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम गुलापेंटा व भोपालपटनम एवं ग्राम रालापल्ली की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम रालापल्ली एवं भोपालपटनम की दक्षिण सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम भोपालपटनम एवं गुलापेंटा की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक-एफ 7-18/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र, जिला बीजापुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भटवाड़ा एवं ग्राम मंगलनार की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मंगलनार व भैरमगढ़ एवं ग्राम पुसनार की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम भैरमगढ़ की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम भैरमगढ़ एवं ग्राम भटवाड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक-एफ 7-19/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बारसूर निवेश क्षेत्र, जिला बीजापुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

बारसूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : नगर पंचायत बारसूर एवं ग्राम हिटामेटा की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम हिटामेटा एवं नगर पंचायत बारसूर की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : नगर पंचायत बारसूर एवं ग्राम मूचनार की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम मूचनार एवं नगर पंचायत बारसूर की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (पांच) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के जिलाधीशों को उनके अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित अनुसार, अर्जित की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	भूमि अर्जन का प्रयोजन (2)	निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (3)	सक्षम प्राधिकारी (4)
1.	लोक प्रयोजन	1000 हेक्टेयर तक (अर्थात् 2470 एकड़)	जिलाधीश

No. F4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (v) of clause (e) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, notifies the maximum limit of land to be acquired for public purpose under the said Act by the Collector of the State in their respective jurisdiction, as shown in column (3) of the Schedule below, namely :—

S. No. (1)	The purpose of land acquisition (2)	The area proposed for acquisition of private land (3)	Competent Authority (4)
1.	Public Purpose	upto 1000 hectares (2470 acres)	Collector

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 की उप-धारा 3 के खण्ड (छ) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एवं 39 के अंतर्गत जिलाधीश की शक्तियों के निर्वहन के लिए, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, भू-अर्जन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अभिहित करती है.

No. F4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, Designates all Sub-Divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) to perform powers of the Collector under section 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 and 39 of the said Act for disposal of cases relating to land acquisition within their respective jurisdiction.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 2 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निजी कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमि की निम्नानुसार सीमाएं निर्धारित करती है, अर्थात् :—

(1)	नगरीय क्षेत्र	2.00 हेक्टेयर
(2)	ग्रामीण क्षेत्र	4.00 हेक्टेयर

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, prescribes the limits of land to be purchased by private company in rural and urban areas as follows, namely :—

(1)	Urban Area	2.00 Hectares
(2)	Rural Area	4.00 Hectares

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Sub-Divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) with their respective jurisdiction as Administrator for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (एक) के उपखण्ड (छः) एवं (सात) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक व्यय विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	प्रयोजन	व्यय
(1)	(2)	(3)
1.	भू-अर्जन पर सेवा शुल्क	प्रतिकर का 5%

(1)	(2)	(3)
2.	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासनिक व्यय	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर का 5%
3.	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन	रुपये 5 लाख या वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (vi) and (vii) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013). State Government, hereby, specifies the administrative cost for the purposes mentioned in column (2) of the Schedule below, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Purpose (2)	Costs (3)
1.	Service charges of Land Acqusition	5% of the Compensation
2.	Administrative coste of Rehabilitation and Resettlement.	5% of the Rehabilitation and resettlement compansation.
3.	Social impact assesment study	5 lakh Rupees or actual expenditure, which is more.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 44 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सभी संभागीय आयुक्त को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, oppoints all Divisional Commissioner within their respective jurisdiction as Commissioner for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 6 मई 2014

क्रमांक/89/अ.भू.अ./प्र.क्र. 12/अ-82/वर्ष 2012-2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	भटगांव प.ह.नं. 18	3.43	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बेमेतरा.	भटगांव जलाशय के डूबान में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 16 अप्रैल 2014

क्रमांक/2803/भू-अर्जन/2014.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	0.162	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग कोरिया, संभाग मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)	रेल्वे ओव्हर ब्रिज पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्रमांक 3/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-दानीकुण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.90 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	60/51	0.39
	146/2	0.13
	165/2, 166/2	0.31
	168	0.28
	173/6	0.29
	164	0.03
	173/7	0.17
	167/1	0.10
	64/6	0.78
	146/1	0.10
	60/52क	0.05
	64/2	0.42
	63	0.38
	64/8, 65/1	0.33
	64/13, 65/2	0.03
	145	0.11
योग	15	3.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंशीताल नहर योजना की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्रमांक 4/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-बंशीताल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	858	0.02
	859/1	0.20
	864	0.03
	859/2	0.20
	863/1	0.22
	856/2	0.23
योग		90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंशीताल नहर योजना की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक/1637/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गठुला, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	3	0.30
योग	1	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गठुला-बोरी-बरगाही एनीकट कम कावेज के अंतर्गत बंड लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मई 2014

क्रमांक/4036/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-धोबनी, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.635 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.210
	5	0.526
	6/1	0.150
	6/2	0.145
	8	0.405
	9/1	2.199
योग	6	3.635

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मई 2014

क्रमांक/4037/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-गोड़लवाही, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.6[illegible] हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
746/1	0.061
330/1	0.676
332	1.011
611/1	0.269
612	0.166
614	0.080
697	0.267
626	0.405
629	0.130
630	0.057
632/1	0.064
632/2	0.105
635	0.627
667	0.640
668	0.142
670	0.190
677	0.825
701/1	0.129
690	0.098
699/1	0.227
688	0.030
698	0.279
1046/1	0.354
1046/2	0.470
694	0.578
695	0.241
987	0.157
996	0.466
699/2	0.482
701/2	0.057
700/1	0.146
700/2	0.040
700/3	0.125
700/4	0.065
988/1	0.020
988/2	0.020
योग 36	9.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मई 2014

क्रमांक/4038/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मासूलकसा, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.297 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
309/1	0.666
315/6	0.097
317	0.838
324	0.660
323	0.364
306/5	0.462
327	1.910
328	0.126
332	0.280
334	0.210
343	0.142
335	0.428
346	0.053
342	0.061
योग 14	6.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मई 2014

क्रमांक/4040/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-परेवाडीह, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.352 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10	0.850
	11	0.757
	33	2.505
	34	0.442
	39	0.906
	274	1.000
	56	1.841
	77	0.251
	63/1, 63/3	1.693
	67	0.632
	68	0.380
	69	0.182
	71	1.149
	76/1	0.162
	76/3	0.081
	79	0.987
	80	0.271
	85	0.919
	87/2	0.113
	87/1	0.458
	03	0.485
	204	0.554
	205	0.380
	273	0.700
	278	0.198
	280	0.320
	[illegible]	0.809
	[illegible]	1.230
	81	0.198
	83	0.045
	84	0.065
	55	0.938
	78	0.251
	97	0.600
योग	35	22.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कुरमापाली, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.948 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/4	0.028

(1)	(2)
63/2घ	0.065
54, 55, 57/2	0.028
195/2	0.142
160/2ख	0.008
187/1क	0.032
193/2	0.020
198/2	0.049
199/2	0.020
193/2ख	0.020
58/2	0.016
46/3	0.032
58/1	0.028
61/1	0.057
175	0.073
188/1	0.024
194/2	0.081
198/3	0.016
62/2क	0.061
193/3	0.036
40/1	0.105
46/6	0.097
60/1	0.004
62/1	0.012
183	0.093
189	0.036
195/1	0.012
199/1	0.012
186	0.089
188/2	0.045
119/3	0.097
55	0.065
60/2	0.032
63/1	0.077
184	0.008
193/1	0.073
198/1	0.105
199/4	0.109
39/1	0.041
योग 39	1.948

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत औंराभाठा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लिंजिर, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.052 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
355	0.045
287/3	0.077
241/2	0.077
239/3	0.020
356	0.150
588	0.061
385/1	0.161
407/3	0.101
347/1	0.061
691/1	0.101
287/2	0.086
347/5	0.051
239/6	0.061
योग 13	1.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत केनसरा माइनर 1 एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-सिंहा, प.ह.नं. 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.165 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	352/1	0.024
	330/1	0.141
योग	02	0.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-टिनमीनी, प.ह.नं. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.041 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	196/5	0.041
योग	01	0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-छिंच, प.ह.नं. 36
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.819 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
274	0.188
179/1	0.024
439/2	0.032

	(1)	(2)
	286	0.251
	281	0.064
	279/2ग	0.024
	290/1ग	0.121
	178/4	0.041
	108/3क	0.020
योग	09	0.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत छिंच माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 968.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/996 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह/25	7	0.030
			6/1, 2, 3, 4, 5	0.607
			16/1, 2, 3	0.160
			17/1, 2	0.202
			31/1, 2	0.030
			32	0.502
			38	0.020
			40/3	0.040
			40/1	0.138
			41/1	0.162
			41/2	0.101
			42/1, 2, 3, 4	0.080
			58	0.004
			59	0.243
			60	0.162
			61	0.020
			75	0.004
			83	0.040
			77	0.030
			74	0.121
			101	0.283
			96/1, 2	0.283
			95	0.101
			154	0.243
			155/1	0.096
			155/2	0.096
			156	0.058
			94/1, 2, 3	0.101
			626/1, 2	0.202
			625/1, 2, 3, 4	0.283
			630	0.032
			622/1, 2, 3, 4	0.202
			685/1, 2, 3, 4, 5, 6	0.121
			686	0.080
			689	0.160
			701	0.121
			804/1, 2, 3	0.080
			805	0.202
			806	0.030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह/25	803/1, 803/2क, 803/2ख, 803/2ग	0.101
			807	0.121
			808	0.080
			809	0.056
			810/1	0.202
			813/1, 2, 3	0.240
			816/1, 2	0.316
			817	0.004
			818	0.004
			821	0.240
			822	0.030
			820	0.093
			824	0.184
			838/1, 2, 3	0.202
			839/1, 2, 3	0.445
			934, 873/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	1.010
			3/1, 2	0.050
			692	0.010
			700	0.010
			815	0.040
		योग		8.908

के. के. शर्मा,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 23rd January 2014

Sub :— For notification of 53 vacancies of the post of Civil Judge (Entry Level) for the year 2014.

No. 527/S & A Cell/2014.—On the Subject cited above, I am to inform you that as per the resolution dated 16-01-2014 passed by Hon'ble the Full Court, 53 vacancies for the post of Civil Judge (Entry Level) are to be notified for the year 2014. The contents of the said resolution is as under :—

Resolution : Resolved that 53 posts of Civil Judge (Entry Level) be notified. It may also be noted that :

(a) These vacancies may be increased to 71, subject to the condition that the Government provides infrastructure for 12 posts of Civil Judge Class-II sanctioned by the State Government vide its Order No. 4401/1642/XXI-B/C.G.-13 dated 28-05-2013.

(b) The vacancies in the category of Civil Judge Class-II are only anticipated and are subject to the number of Officers in the category of Civil Judge (Entry Level) who shall be promoted to the post of Senior Civil Judge (Civil Judges Class-I) against the vacancies to be notified for the year 2014.

It is further intimated that the entire process for recruitment for the post of Civil Judge (Entry Level), vide this Registry's Memo No. 8071/S & A Cell/2013 dated 08/11/2013, was handed over to the Public Service Commission to be conducted by it under the control and supervision of High Court of Chhattisgarh.

It is requested that the entire process of recruitment be initiated and needful be done as per the time schedule and guidelines laid down in the C.A. No. 1867/2006 (Malik Mazhar Sultan and Another V/s. U. P. Public Service Commission & Others). The Schedule-I and other Rules of Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 pertaining to selection and appointment has to be followed.

Copy of Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and that of the Order of Hon'ble Supreme Court passed in C.A. No. 1867/2006 (Malik Mazhar Sultan and Another V/s. U.P. Public Service Commission & Others) are annexed herewith for necessary information and compliance.

You are, therefore, requested to get the vacancies notified in website of Government of Chhattisgarh and the Official Gazette and to initiate the entire process of recruitment through Public Service Commission.

Bilaspur, the 19th March 2014

No. 293/Confdl./2014/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Monika Jaiswal, IX Civil Judge Class-II, Durg, She is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Monika Jaiswal" in place of "Ku. Monika Jaiswal" and to incorporate the name of her husband Shri Bhagwat jaiswal in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 1st April 2014

No. 310/Confdl./2014/II-2-4/2002.—The period of officiation or probation, as the case may be, of the following Officiating/Probationary* District Judges of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, is hereby, extended for a further period of one year :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Appointment (3)
(1)	Smt. Satyabhama Ajay Dubey	27-04-2012
(2)	Shri Chandra Kumar Ajgalley	26-04-2012
(3)	Shri Maneesh Kumar Thakur	30-04-2012
(4)	Shri Jantaram Banjara	24-04-2012
(5)	Smt. Kiran Chaturvedi	26-04-2012
(6)	Shri Vijay Kumar Hota	23-04-2012
(7)	Shri Shakti Singh Rajput*	23-04-2012
(8)	Smt. Dhaneshwari Sidar	30-04-2012
(9)	Shri Hirendra Singh Tekam	24-04-2012
(10)	Shri Satyendra Kumar Sahu*	23-04-2012
(11)	Shri Jitendra Kumar	26-04-2012
(12)	Shri Mohd. Rizwan Khan	30-04-2012

(1)	(2)	(3)
(13)	Shri Shyam Lal Nawratana*	23-04-2012
(14)	Shri Mansoor Ahmed	23-04-2012
(15)	Shri Chhameshwar Lal Patel	24-04-2012
(16)	Smt. Vinita Warner	25-04-2012
(17)	Shri Pradeep Kumar Singh	28-04-2012
(18)	Shri Deleshwar Singh Rathiya	30-04-2012
(19)	Smt. Girija Devi Meravi	24-04-2012

Bilaspur, the 11th April 2014

No. 337/Confdl./2014/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Nidhi Sharma, Member of Lower Judicial Service and presently, Secretary, District Legal Services Authority, Jagdalpur, she is hereby, permitted to change her name as "Smt. Nidhi Sharma Tiwari" in place of "Ku. Nidhi Sharma" and to incorporate the name of her husband Shri Devesh Tiwari in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 11th April 2014

No. 339/Confdl./2014/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Priyanka Tembhurkar, Member of Lower Judicial Service and presently, IV Civil Judge Class-II, Raigarh, she is hereby, permitted to change her name as "Smt. Priyanka Agrawal" in place of "Ku. Priyanka Tembhurkar" and to incorporate the name of her husband Shri Sarv Vijay Agrawal in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 17th April 2014

No. 24 (Mis)/I-7-3/2014 (Pt.-I).—In partial modification of Calendar of High Court for the year 2014, 24th April 2014 is declared holiday for the High Court & Registry, on account of the Lok Sabha General Elections-2014 and in lieu thereof, 26th April 2014 is declared as working day for High Court.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 3237/III-6-1/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Shri Sarv Vijay Agrawal, Judicial Magistrate Second Class, Pamgarh, District Janjgir-Champa.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 3239/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Ku. Parul Shrivastava, Judicial Magistrate First Class, Durg, District Durg to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 17th April 2014

No. 579/L.G./2014/II-2-7/2003.—Shri Arvind Singh Chandel, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-03-2014 to 14-03-2014 along with permission to remain out of headquarters from 08-03-2014 till 18-03-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 157 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).